रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2005/भाद्र 31, 1927
No. 409] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2005/BHADRA 31, 1927

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2005

भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण समझौता

सा.का.नि. 606(अ).— जबकि भारत गणराज्य और बहरीन साम्राज्य के बीच नई दिल्ली में दिनांक 13, जनवरी, 2004 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और 16 जुलाई, 2005 को बहरीन में अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ था और जिस समझौते में निम्नलिखित का प्रावधान है:

भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य की सरकार जिन्हें एतद्पश्चात् संविदाकारी राज्य कहा जाएगा ;

दोनों देशों के बीच सफल सहयोग के संबंधों को बढ़ावा देने की इच्छा से ;

यह मानते हुए कि आतंकवाद एवं अन्य अपराधों का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं ;

एक प्रत्यर्पण संधि करके अपराध के दमन में दोनों देशों के बीच सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दृढ़मत होकर ;

इस प्रकार सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद - एक

दोनों संविदाकारी राज्य, इस संधि के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को जो परवर्ती अनुच्छेदों में निहित नियमों एवं विनिर्देशों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए आरोपित या सिद्धदोष हो, प्रत्यर्पित कर देगा चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने के पहले घटित हुआ हो या बाद में ।

अनुच्छेद - दो

1. 'प्रत्यर्पणीय अपराध' की श्रेणी में वह अपराध आएगा जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के कारावास का दण्ड देय होता हो ।

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यर्पित किया जाएगा -

(क) किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति ।

(ख) किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के सम्बन्ध में न्यूनतम छः महीने के कारावास की सजा जिन व्यक्तियों को अनुरोध कर्त्ता राज्य के न्यायालयों द्वारा सुना दी गई हो ।

अनुच्छेद - तीन

1. अनुच्छेद-दो के अधीन करों, वित्तीय आरोपों और सीमा शुल्क प्रभारों से जुड़े अपराधों के लिए प्रत्यर्पण, इस संधि के उपबंधों के अधीन तभी किया जाएगा जब वह अपराध, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून के अधीन इसी प्रकृति के किसी अपराध के समनुरूप हो ।

2. किसी आपराधिक कृत्य के लिए दुष्प्रेरित करने, षड़यन्त्र करने अथवा ऐसे कृत्य को करने का प्रयास करने या उकसाने अथवा उसमें हिस्सा लेने को भी प्रत्यर्पणीय अपराध समझा जाएगा ।

अनुच्छेद - चार

1. अनुरोधकर्त्ता राज्य के राज्य क्षेत्र के बाहर किए गए किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण किया जाएगा यदि उसे अपराध के लिए मुकद्मा चलाने का न्यायाधिकार है और बशर्ते कि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को तदनुरूपी परिस्थितियों में, ऐसे किसी अपराध पर न्यायाधिकार हो ।

2. किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण उस स्थिति में भी प्राप्त होगा जब वांछित व्यक्ति का आपराधिक कृत्य पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में भी घटित हुआ हो बशर्ते कि उस राज्य के कानून के अधीन, वांछित व्यक्ति या कृत्य तथा इसके प्रभाव अथवा अभिप्रेत परिणाम अपनी समग्रता में उस राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के घटित होने की श्रेणी में आते हों ।

3. अनुरोधकर्त्ता राज्य के किसी राष्ट्रिक जो कि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में मौजूद हो, द्वारा किसी तीसरे राज्य में किए गए किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - पांच

प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है :-

1. यदि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है वह राजनैतिक अपराध है । इस संधि को लागू करते समय निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक अपराध नहीं समझा जाएगा :-

क) भारत गणराज्य के राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अथवा उनके निकट परिजनों पर हमला, अथवा भारत गणराज्य की मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य या उनके निकट परिजनों पर हमला ;

(ख) बहरीन राज्य के राजा, प्रधानमंत्री अथवा राजकुमार अथवा उनके नजदीकी परिवार पर आक्रमण अथवा बहरीन राज्य की मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य अथवा उनके नजदीकी परिवार पर आक्रमण ;

(ग) हत्या, हत्या के उद्देश्य से न की गई आपराधिक हत्या अथवा व्यक्तियों, प्राधिकरणों अथवा सार्वजनिक परिवहन से बलपूर्वक चोरी ;

(घ) अपहरण, शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए आक्रमण, बन्धक बनाने का अपराध, सार्वजनिक सुविधाओं की सम्पत्ति का अत्यधिक नुकसान अथवा तोड़-फोड़, और आग्नेयास्त्रों अथवा अन्य हथियारों, अथवा विस्फोटकों अथवा खतरनाक पदार्थों से सम्बद्ध अपराध ;

(ङ) उपरोक्त किसी अपराध को करने अथवा उसमें भाग लेने का कोई प्रयास अथवा षड़यंत्र ;

(च) किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसके दोनों संविदाकारी राज्य पक्षकार हैं, और जो दोनों राज्यों को अभियोजन अथवा प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य करता हो, के क्षेत्र के भीतर किया गया कोई अपराध ;

2. यदि कोई अपराध सैन्य अपराध है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी अथवा सिद्धदोष पाया गया, वह अपराध सामान्य आपराधिक नियमों के अन्तर्गत नहीं है ।

3. यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोध प्राप्तकर्त्ता राज्य के भीतर किया गया था ।

4. यदि अपराध का अन्तिम निर्णय अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में होगा ।

5. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोधप्राप्त होने पर दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के नियमों के आधार पर यदि मामला अथवा सजा समाप्त हो गई हो ।

6. यदि प्रार्थित व्यक्ति उसी अपराध, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था, की जांच चल रही है अथवा अभियोजन चल रहा है ।

अनुच्छेद - छह

प्रत्यर्पण के लिए इन्कार किया जा सकता है, यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य का राष्ट्रिक है । इस संधि के प्रयोजन से, प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता अपराध करने के समय से निर्धारित होगी ।

अनुच्छेद - सात

1. जहां अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य पूर्ववर्ती अनुच्छेद पांच और छह में बताए गए किसी कारण के लिए प्रत्यर्पण के अनुरोध से इन्कार कर देता है, अभियोजन के लिए मामले को उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । ये प्राधिकरण इस मामले का निर्धारण उसी प्रकार से करेगें जैसा कि उसी प्रकार के किसी अपराध का निर्धारण उस राज्य के नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ।

2. जहां अनुच्छेद पांच के पैराग्राफ तीन के अन्तर्गत प्रत्यर्पण से इन्कार किया जाता है, वहां यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में अभियोजन अथवा जांच के किसी स्तर पर, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में जांच,

अभियोजन, अथवा न्यायिक प्राधिकारी उस राज्य में वांछित व्यक्ति के अभियोजन को अव्यवहार्य पाता है, तो प्रत्यर्पण के अनुरोध परं पुनः विचार किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - आठ

प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध लिखित में निम्नलिखित समर्थन दस्तावेजों और विवरणों के साथ राजनयिक माध्यमों से प्रेषित किया जाएगा :-

1. यदि अनुरोध पहले से सिद्धदोष अथवा सजा पाए गए व्यक्ति से सम्बद्ध है, प्रत्यार्पित किए जाने वाले व्यक्ति को दी गई सजा की आधिकारिक प्रति अथवा यदि, प्रत्यार्पित व्यक्ति जांच के लिए वांछित है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय से जारी गिरफ्तारी के वारन्ट, अथवा रिमान्ड अथवा अन्य कोई दस्तावेज ;

2. यदि सम्भव हो तो प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के पहचान का विवरण हुलिया और एक फोटोग्राफ ;

3. जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस कृत्य की तारीख और स्थान ;

उन अपराधों का विधिक लक्षण-वर्णन और अनुमत्य विधिक उपबन्धों की एक प्रमाणित प्रति तथा प्रत्यार्पित किए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में अभियोजन प्राधिकारी द्वारा एक विवरण ।

4. उन व्यक्तियों के मामले में, जिन्हें अभी दण्डित नहीं किया गया हो ऐसा अन्य साक्ष्य जो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और उसपर मुकद्मा चलाने के लिए पर्याप्त होता, यदि वह अपराध अनुरोध प्राप्तकर्त्ता राज्य के क्षेत्र में अंजाम दिया गया होता ;

उपर्युक्त सभी दस्तावेजों का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो और अनुरोधकर्त्ता राज्य द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो ।

अनुच्छेद - नौ

1. आपात स्थिति में प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को प्रत्यर्पण का अनुरोध तथा पिछले अनुच्छेद में सदर्भित दस्तावेजों के प्राप्त होने तक अनंतिम रूप से गिरफ्तार तथा अभिरक्षा में रखा जा सकता है ।

2. अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध परोक्ष तौर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इण्टरपोल) चैनलों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को लिखित में व्यक्त किया जाएगा ।

3. उस अनुरोध की पुष्टि राजनयिक चैनलों से की जाएगी जिसमें अनुच्छेद-आठ के पैरा (1) में उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी भी एक की मौजूदगी का संदर्भ प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के भेजने के लिए अनुरोधकर्त्ता राज्य के आशय की पुष्टि उस अपराध का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट दण्ड अथवा लगाया गया दण्ड, अपराध को अंजाम देने का समय और

स्थान और जहाँ तक संभव हो, प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति का विस्तृत विवरण निहित होगा। अनुरोधकर्त्ता राज्य को शीघ्र ही अनुरोध के संबंध में की गई किसी कार्रवाई से अधिसूचित किया जाएगा।

4. अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य की विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।

अनुच्छेद - दस

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में सक्षम प्राधिकारी प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं यदि इस संधि के अनुच्छेद-आठ के तहत अपेक्षित दस्तावेज उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की तारीख से साठ दिनों के भीतर नहीं पहुँचते।

2. इस अनंतिम बंदी की अवधि किसी भी स्थिति में आरम्भ होने की तारीख से नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी। हालांकि, इस प्रकार की मुक्ति से उसकी पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण बाधित नहीं होगा यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में प्रस्तुत किया जाता है।

3. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को किसी भी समय बेल पर रिहा किया जा सकता है यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य उसके भाग जाने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है।

अनुच्छेद - ग्यारह

यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को इस संधि के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरणों की आवश्यकता होती है तो वह अनुरोध से इंकार करने से पूर्व राजनयिक चैनलों के माध्यम से अनुरोधकर्त्ता राज्य को अधिसूचित करेगा और इस प्रकार के स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने के लिए कोई तारीख निर्धारित करेगा।

अनुच्छेद - बारह

1. यदि उन राज्यों द्वारा उसी व्यक्ति अथवा अपराध के लिए प्रत्यर्पण हेतु एक से अधिक अनुरोध प्राप्त होते हैं, जिनसे अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य व्यक्तियों के प्रत्यर्पण हेतु ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते से प्रतिबद्ध हो जिसमें वह एक पक्षकार हो तो प्राथमिकता उस राज्य को दी जाएगी जिसकी सुरक्षा अथवा हित अथवा उसके राष्ट्रिक अथवा उनके हित उस अपराध द्वारा प्रभावित होते हों, और फिर उस राज्य को जिसके क्षेत्र पर अपराध को अंजाम दिया गया हो और अंत में उस राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका प्रत्यर्पित किया जाने वाला व्यक्ति राष्ट्रिक हो।

2. यदि परिस्थितियां एक समान हों तो उस राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने पहले अनुरोध किया हो। यदि प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध अनेक अपराधों के लिए हो तो अपराध की परिस्थितियों और उसकी गंभीरता को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद - तेरह

सद्भावना में दूसरों के अधिकारों और अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में लागू कानून के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण रखते हुए प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के पास उसकी गिरफ्तारी के समय प्राप्त कोई भी वस्तु, चाहे वह अपराध की आय हो अथवा अपराध को अंजाम देने में प्रयुक्त धन हो अथवा उससे संबंधित हो, अथवा साक्ष्य के तौर पर संगत हो तो उसे साथ में अनुरोधकर्त्ता राज्य को सौंप दिया जाएगा चाहे अपराधी को उसकी मृत्यु अथवा भाग जाने के कारण प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका हो ।

अनुच्छेद - चौदह

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य में सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के समय प्रवृत्त कानूनों के अनुसरण में प्रत्यर्पण अनुरोध का निर्धारण करेंगे ।

2. प्रत्यर्पण अनुरोध स्वीकार किये जाने की स्थिति में अनुरोधकर्त्ता राज्य को प्रत्यर्पण की तारीख और स्थान की अधिसूचना दी जाएगी ।

3. अनुरोध अस्वीकार किये जाने की स्थिति में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अनुरोधकर्त्ता राज्य को राजनयिक माध्यमों से अस्वीकार किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए लिये गये निर्णय की सूचना देगा ।

4. अनुरोधकर्त्ता राज्य प्रत्यर्पण की अधिसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को स्वीकार करेगा अन्यथा अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य उसे रिहा कर सकता है और ऐसी स्थिति में उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण का दूसरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

5. यदि आपवादिक परिस्थितियों में कोई संविदाकारी राज्य निर्धारित समय में वांछित व्यक्ति को अभ्यर्पित नहीं कर पाता है अथवा उस व्यक्ति को अपने अधिकार में नहीं ले पाता है तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा । ऐसे मामले में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अभ्यर्पण की नई तारीख पर सहमत हो सकते हैं ।

अनुच्छेद - पन्द्रह

1. यदि प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति की प्रत्यर्पणीय अपराध से इतर अपराध के लिए जांच चल रही है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा उसे सिद्धदोष ठहराया गया है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अनुरोध का निर्धारण करेगा और अनुरोधकर्त्ता राज्य को अपने निर्णय की सूचना देगा ।

2. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का अभ्यर्पण स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में उस व्यक्ति का मुकदमा पूरा न हो जाए और दी गयी सजा निष्पादित न हो जाए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रावधान संबंधित व्यक्ति के अनुरोधकर्त्ता राज्य में न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष अनन्तिम अभ्यर्पण की संभवना में बाधा नहीं डालेंगे बशर्ते कि अनुरोधकर्त्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के

कानून के अध्यधीन उससे संबंधित न्यायिक कार्रवाइयों के पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसे दूसरे संविदाकारी राज्य को वापिस करने का प्रयास करता है ।

अनुच्छेद - सोलह

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी प्रत्यर्पण की किसी कार्रवाई में शपथ के साथ अथवा पुष्टि के जरिए लिये गये किसी वक्तव्य, किसी वारंट अथवा किसी प्रमाण पत्र अथवा यदि प्रामाणिक है तो दोषसिद्धि के तथ्य का विवरण देने वाले न्यायिक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं ।

(क) यदि वारंट पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है अथवा यदि किसी मूल दस्तावेज पर अनुरोधकर्त्ता राज्य के किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो तथा ;

(ख) यदि अभिसाक्ष्य अथवा अनुरोधकर्त्ता राज्य के उपयुक्त सरकारी मोहर के साथ किसी गवाह के शपथ द्वारा; अथवा

(ग) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके से ।

2. पिछले पैराओं में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में चलायी जाने वाली प्रत्यर्पण कार्रवाइयों में स्वीकार्य होंगे चाहे उसकी शपथ अथवा पुष्टि अनुरोधकर्त्ता राज्य में की गयी अथवा किसी तीसरे देश में ।

अनुच्छेद - सत्रह

1. प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति पर, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है, अथवा उससे जुड़े अपराध के लिए अथवा प्रत्यर्पण के पश्चात किये गये अपराधों को छोड़कर अन्य अपराध के लिए अनुरोधकर्त्ता राज्य में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा दण्ड नहीं दिया जाएगा । यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरूद्ध चलायी गयी प्रक्रिया के दौरान अपराध का चरित्रांकन मृदु हो जाता है तो उस पर अभियोग नहीं लगाया जाएगा अथवा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि इसके नये चरित्रांकन में अपराध के संघटक इस संधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देते हों ।

2. यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति को उस राज्य जिस राज्य में उसे प्रत्यर्पित किया गया था, को छोड़ने की स्वतंत्रता और छोड़ने के साधन उपलब्ध थे, और उसने अपनी अंतिम रिहाई के तीस दिन के भीतर उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा परन्तु वह स्वच्छा से वापस आ गया तो उस पर अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - अट्ठारह

संविदाकारी राज्य जिसे व्यक्ति प्रत्यार्पित किया जा रहा है वो अन्य संविदाकारी की सहमति के बिना तीसरे राज्य को उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं करेगा, अन्यथा अनुच्छेद-सत्रह (2) के अन्तर्गत कोई भी प्रतिबन्ध लागू होगा ।

अनुच्छेद - उन्नीस

अनुच्छेद - नौ में उल्लिखित अनन्तिम गिरफ्तारी की अवधि को प्रत्यार्पित किए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अनुरोधकर्त्ता राज्य में दी गई किसी भी सजा से हटा दिया जाएगा ।

अनुच्छेद - बीस

एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र से दूसरे संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में किसी तीसरे राज्य में किसी प्रत्यंपर्णीय व्यक्ति के पारगमन की अनुमति अनुरोध प्रस्तुत किये जाने पर दी जाएगी बशर्ते कि संबंधित अपराध इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रत्यर्पणीय अपराध है ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के किसी राष्ट्रिक के पारगमन को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि यह उसके कानूनों के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है ।

3. पारगमन अनुरोध के साथ इस संधि में उल्लिखित दस्तावेज अवश्य संलग्न होने चाहिएं ।

4. पिछले पैराओं में वर्णित दस्तावेज पारगमन के लिए निर्धारित तारीख के पैतालीस दिन पूर्व अनुरोधकर्त्ता राज्य को सौंप दिये जाएंगे ।

अनुच्छेद - इक्कीस

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अपने क्षेत्र में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर होने वाले सभी व्यय का भार वहन करेगा परन्तु अनुरोधकर्त्ता राज्य अपने क्षेत्र में परिवहन पर होने वाला सभी व्यय वहन करेगा ।

2. अनुरोधकर्त्ता राज्य प्रत्यर्पित व्यक्ति को उस स्थान, जहाँ वह प्रत्यर्पण के समय था, तक वापस लाने का व्यय वहन करेगा यदि उसके द्वारा अपराध किया जाना अथवा अपराध में उसका शामिल होना सिद्ध नहीं हो पाता है ।

अनुच्छेद - बाईस

प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय करारों के अनुसार उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के संबंध में दूसरे पक्ष को आपराधिक मामलों में व्यापक परस्पर सहायता देगा ।

अनुच्छेद - तेईस

मौजूदा संधि से उन अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, संधियों अथवा करारों जिनके वे पक्षकार हैं, से उत्पन्न अधिकारों तथा बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - चौबीस

1. यह संधि प्रत्येक संविदाकारी राज्य के संवैधानिक क्रियाविधियों तथा प्रथा के अनुसार अनुसमर्थन के अध्यधीन है और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथासम्भव राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा । यह अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा ।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों के जरिए छह महीने का नोटिस देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है । इस नोटिस की समाप्ति पर यह संधि समाप्त अथवा निष्प्रभावी हो जाएगी ।

3. इस संधि के अनुप्रयोग और/अथवा व्याख्या में किसी समस्या अथवा विवाद को संविदाकारी राज्यों के बीच राजनयिक माध्यमों के जरिए सौद्राईपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।

आज नई दिल्ली में, सन् दो हजार चार के जनवरी माह के ....13........... वें दिन हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । तथापि, भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम 1962(1962 का 34) की धारा 3 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय -III को छोड़ते हुए कथित अधिनियम के उपबंध बहरीन साम्राज्य पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख लागू होंगे।

[फा. सं. टी. 413/7/2000]

आर. आर. दाश, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 20th September, 2005

Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and The Government of the Kingdom of Bahrain

G.S.R. 606(E).—Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and the Kingdom of Bahrain was signed at New Delhi, on 13th January, 2004; and the instruments of ratification exchanged at Bahrain on 16th July, 2005 and which treaty provides as follows :

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Bahrain, hereinafter referred to as "the Contracting States";

Being desirous to promote the bonds of fruitful cooperation between the two countries;

Recognising that concrete steps are necessary to combat terrorism and other crimes;

Determined to make more effective the cooperation between the two countries in the suppression of crime by entering into an extradition Treaty;

Have agreed as follows :

Article 1

The Contracting States shall extradite any person found in their respective territories who is accused or convicted of an extraditable offence in the territory of the other Contracting State, in accordance with the rules and stipulations contained in the subsequent Articles, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

Article 2

1. An "extraditable offence" shall be any offence punishable under the laws of both Contracting States by imprisonment for a period of at least one year.

2. The following persons shall be extradited :

   (a) Persons accused of an extraditable offence.

   (b) Persons sentenced by the Courts of the requesting State to imprisonment for at least six months in respect of an extraditable offence.

Article 3

1. Subject to Article 2 for offences in connection with taxes, fiscal charges and customs duties extradition shall be effected in accordance with the provisions of this Treaty only if the said offence corresponds to an offence of a similar nature under the law of the requested State.

2. An attempt or conspiracy to commit or incite or participate in the commission of an extraditable offence shall also be regarded as an extraditable offence.

Article 4

1. Extradition shall be granted in respect of an extraditable offence committed outside the territory of the requesting State, if it has jurisdiction to try the offence, and provided that the requested State, in corresponding circumstances, would have jurisdiction over such an offence.

2. Extradition shall also be available for an extraditable offence notwithstanding that the criminal conduct of the person sought occurred wholly or partly in the requested State, if under the law of that State his conduct and its effects or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in its territory.

3. Extradition shall be available for an extraditable offence if committed in a third State by a national of the requesting State who is present in the requested State.

Article 5

Extradition may be refused:

1. If the offence for which the extradition is requested is a political offence. In the application of this Treaty, the following shall not be regarded as political offences:

   (a) Assault upon the President and Vice President of the Republic of India or their immediate families, or assault upon any member of the Council of Ministers of the Republic of India or their immediate family.

   (b) Assault upon the King, the Prime Minister or the Crown Prince of the Kingdom of Bahrain, or their immediate families, or assault upon any member of the Council of Ministers of the Kingdom of Bahrain or their immediate family.

   (c) Offences of murder, culpable homicide not amounting to murder, or theft by coercion against individuals, authorities, or public transport.

   (d) Offences of kidnapping, assault causing bodily harm, hostage-taking, offences involving serious damage to property or disruption of public facilities, and offences relating to firearms or other weapons, or explosives, or dangerous substances;

   (e) Any attempt or conspiracy to commit or incite or participate in any of the above offences;

   (f) Any offence within the scope of an international Convention to which both Contracting States are parties and which obligates the States parties to prosecute or grant extradition.

2. If the offence of which the person is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.

3. If the offence for which extradition is requested was committed in the requested State.

4. If the offence has been the subject of a final judgement in the requested State.

5. If the case or the sentence had lapsed by virtue of the law of either of the Contracting States when the request for extradition was received;

6. If the requested person is under investigation or standing trial in the requested state for the same offence which is the subject of the extradition request.

Article 6

Extradition shall be refused if the person wanted is a national of the requested State. For the purpose of this Treaty, nationality of the person, sought for extradition shall be determined to be that at the time of the commission of the offence.

Article 7

1. Where the requested State refuses a request for extradition for any of the reasons set out in the foregoing Articles 5 and 6 it shall submit the case to its competent authorities for prosecution. Those authorities shall determine the case in the same manner as in the case of any offence of a similar nature under the law of that State.

2. Where extradition is refused under paragraph 3 of Article 5, if at any stage of the prosecution or investigation in the requested State, the investigating, prosecuting or judicial authorities in the requested State find the prosecution of the person wanted non-feasible in that State, the request for extradition may be reconsidered.

Article 8

The request for extradition shall be made in writing and despatched through diplomatic channels with the following supporting documents and particulars:

1. If the request relates to a person already convicted and sentenced, an official copy of the sentence passed against the person to be extradited or, if the person to be extradited is wanted for trial, the warrant of arrest, or remand or any document having the same effect, issued by a competent authority;

2. Particulars as to identity, description and a photograph of the person to be extradited, if possible;

3. The date, the place of the commission of the acts for which extradition is requested, the legal characterisation of those offences, and a certified copy of the applicable legal provisions, and a statement by the prosecuting authorities as to evidence against the person to be extradited;

4. In case of persons not yet sentenced, such other evidence as, according to the laws of the requested State, would justify his arrest and committal for trial had the offence been committed within the jurisdiction of the requested State;

All documents referred to above shall be translated into English and authenticated by the requesting State.

Article 9

1. In case of urgency, a person to be extradited may be provisionally arrested and kept in custody until the request for extradition, together with the documents referred to in the preceding Article are received.

2. The request for provisional arrest shall be communicated in writing to the competent authority of the requested State, either directly or through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL) channels.

3. The same request shall be confirmed through the diplomatic channels, and shall contain a reference to the existence of any of the documents, enumerated in paragraph (1) of Article 8, and confirming the intention of the requesting State to transmit a request for extradition, a statement of the offence for which extradition is requested, the sentence specified for that offence or the sentence imposed, the time and place of the commission of the offence and a detailed description of the person to be extradited as far as possible. The requesting State shall expeditiously be notified of any action taken in respect of the request.

4. The provisional arrest shall be made in accordance with the legal procedures of the requested State.

Article 10

1. The competent authority in the requested State may, if the documents required under Article 8 of this Treaty are not delivered within sixty days from the date of the arrest of the person to be extradited release that person.

2. The period of the provisional detention shall not, in any case, exceed ninety days from the date of its commencement. However, the release of such person shall not prevent his re-arrest and extradition, if the request for extradition is submitted afterwards.

3. The person to be extradited may at any time be released on bail, if the requested State takes all necessary measures to prevent his escape.

Article 11

If the requested State needs additional clarifications to ensure compliance with the conditions prescribed under this Treaty, it shall notify the requesting State through diplomatic channels, before rejecting the request, and may fix a date for receiving such clarifications.

Article 12

1. If more than one request for extradition for the same person or offence are made from States to which the Requested State is obliged, by virtue of any international agreement to which it is a party, to extradite persons, priority shall be given to the State whose security or interest or its nationals or their interests are affected by the offence, and then to the State on whose territory the offence is committed, and lastly to the State of which the person to be extradited is a national.

2. If the circumstances are identical, the State which made the first request, shall have preference. If the requests for extradition are for several offences, then priority is accorded to the circumstances of the offence and its gravity.

Article 13

Without prejudice to the right of others acting in good faith, and to the laws in force in the requested State anything found in possession of the person to be extradited, at the time of his arrest, whether being the proceeds of the offence or used in the commission of, or connected with it, or relevant as evidence, shall be attached and may be handed over to the requesting State, even if the offender is not extradited due to his death or his absconding.

Article 14

1. The competent authorities in each Contracting State shall determine the request for extradition in accordance with the law in force at the time of the request.

2. In the event of accepting the extradition request, the requesting State shall be notified of the date and place of the extradition.

3. In case the request is rejected, the requested State shall communicate to the requesting State, through diplomatic channels, the decision taken stating the reasons for rejection.

4. The requesting State shall, within thirty days from the date of its notification of the extradition, receive the person to be extradited, otherwise the requested State may discharge him, and in such event no second request for extradition may be accepted for the same offence.

5. If exceptional circumstances prevent a Contracting State from surrendering or taking delivery of the person sought in the prescribed time, it shall notify the other Contracting State. In such a case, the competent authorities of the Contracting States may agree upon a new date for the surrender.

Article 15

1. If the person to be extradited is under investigation or standing trial or is convicted in the requested State for an offence other than that for which his extradition is requested, then the requested State shall determine the request and communicate its decision to the requesting State.

2. If the request for extradition is accepted, then the surrender of the person to be extradited, shall be postponed until his trial in the requested State is completed and the punishment passed is executed.

3. The provisions of this Article shall not preclude the possibility of the provisional surrender of the person to be extradited to appear before the judicial authorities of the requesting State, provided that the requesting State expressly undertakes to return him to the other contracting State, after the completion of the judicial proceedings pertaining thereto, subject to the law of the requested State.

Article 16

1. The competent authorities of the requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any statement taken on oath or by way of affirmation, any warrant or any certificate or judicial document stating the fact of conviction, if it is authenticated:

   (a) In the case of a warrant being signed by a competent person, or in the case of any original document being certified by a judge, magistrate or other competent authority of the requesting State; and

   (b) In the case of depositions or statements either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate authority of the requesting State; or

   (c) In such other manner as may be permitted by the law of the requested State.

2. The evidence described in the foregoing paragraph shall be admissible in extradition proceedings in the requested State whether sworn or affirmed in the requesting State or in some third State.

Article 17

1. The person to be extradited shall not be tried or punished in the requesting State except for the offence for which his extradition has been sought or for offences connected therewith, or offences committed after his extradition. If the characterisation of the offence is modified during the proceedings taken against the person extradited, he shall not be charged or tried, unless the ingredients of the offence in its new characterisation, permit extradition in conformity with the provisions of this Treaty.

2. If the person extradited had the liberty and means to leave the territory of the State to which he was extradited, and he did not leave within thirty days subsequent to his final release or left during that period, but voluntarily returned, he may be tried for the other offences.

Article 18

The Contracting State to which the person is extradited shall not extradite him to a third State, without the consent of the other Contracting State, unless any of the conditions under Article 17 (2) are applicable.

Article 19

The term of provisional arrest referred to under Article 9 shall be remitted from any sentence passed in the requesting State against the person to be extradited.

Article 20

1. Transit of a person who is the subject of extradition from a third State through the territory of a Contracting State to the territory of the other Contracting State shall be granted on submission of a request, provided that the offence concerned is an extraditable offence under the provisions of this Treaty.

2. Transit of a national of the requested State may be refused if it is inadmissible under its law.

3. The request for transit must be accompanied by the documents mentioned in this Treaty.

4. The documents mentioned in the foregoing paragraph shall be delivered to the Requested State forty five days before the date fixed for transit.

Article 21

1. The Requested State shall meet all the expenses necessitated by the extradition of the person arising within its territory but the Requesting State shall pay all the transportation expenses to its territory.

2. The requesting State shall bear the expenses of the return of the extradited person to the place, he was in at the time of his extradition if his commission of the offence or complicity is not proved.

Article 22

Each Contracting State shall in accordance with its national law and bilateral agreements afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 23

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from international conventions, treaties or agreements to which they are parties.

Article 24

1. This Treaty is subject to ratification in accordance with the Constitutional procedures and practice in each of the Contracting States and the instruments of ratification shall be exchanged through diplomatic channels as soon as possible. It shall come into force on the date of exchange of instruments of ratification.

2. Either of the Contracting States may terminate this Treaty by giving six months notice thereof through diplomatic channels. Upon the expiry of such notice, the Treaty shall cease to have any force or effect.

3. Any difficulties or dispute in the application and/or interpretation of this Treaty shall be settled amicably between the Contracting States through diplomatic channels.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at New Delhi on this 13 day of January 2004, in two original each in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. However, in case of difference, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Kingdom of Bahrain with effect from the date of the publication of this notification.

[F. No. T. 413/7/2000]

R. R. DASH, Jt. Secy. (CPV)

28 57GI/05-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.